सत्यमेव जयते
Goverment Of India

भारत में गर्मी की लहर का प्रबंधन: तैयारी, समन्वय और प्रशमन

02 May 2026

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत में गर्मी की लहर का खतरा: इस पर प्राथमिकता से ध्यान देना क्यों आवश्यक है

- गर्मी की लहर का प्रभाव, अवधि और तीव्रता बढ़ रही है।
- पारंपरिक गर्म क्षेत्रों से परे अन्य क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है।
- शहरी भागों में अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव से तापमान बढ़ रहा है।
- आर्द्रता तटीय और अन्य क्षेत्रों में ताप को बढ़ा रही है।
- गर्मी का श्रमिकों, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और गरीब परिवारों पर अधिक प्रभाव।

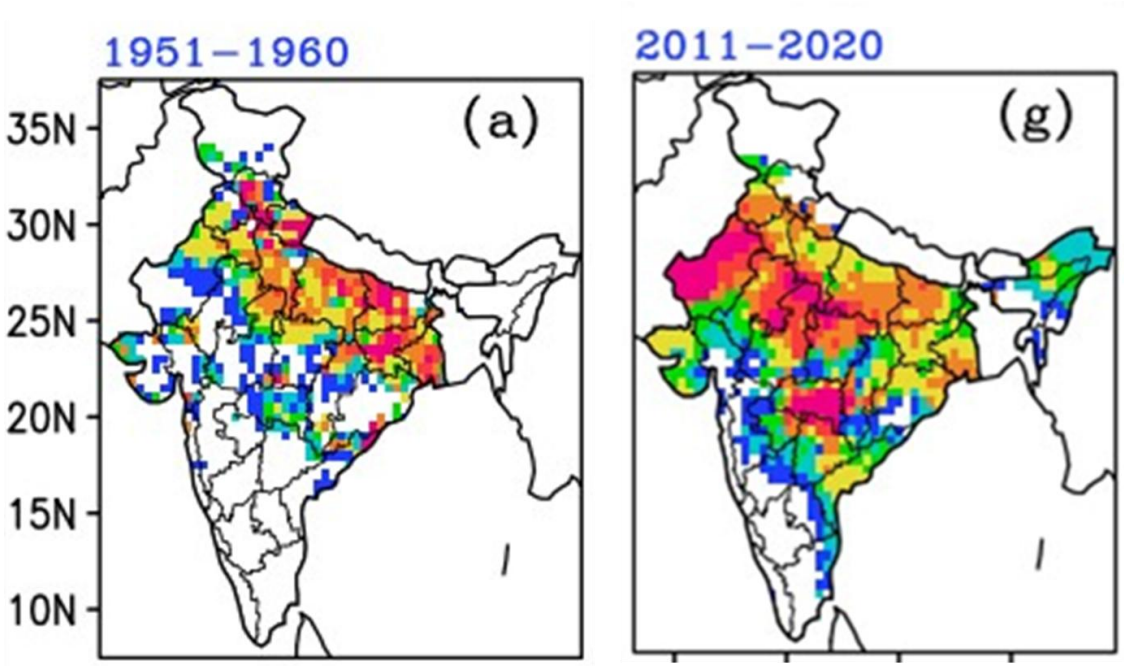

गर्मी की लहर पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश

गर्मी की लहर अब एक प्रमुख राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है जिसके लिए व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता है

गर्मी की लहर पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश 2016 में विकसित, 2019 में संशोधित

कूलिंग सेंटर की स्थापना के लिए 2025 में दिशानिर्देश तैयार किए गए

रोकथाम, तैयारी और जोखिम कम करने के उपायों और उत्तरदायित्व संरचना पर ध्यान केंद्रित

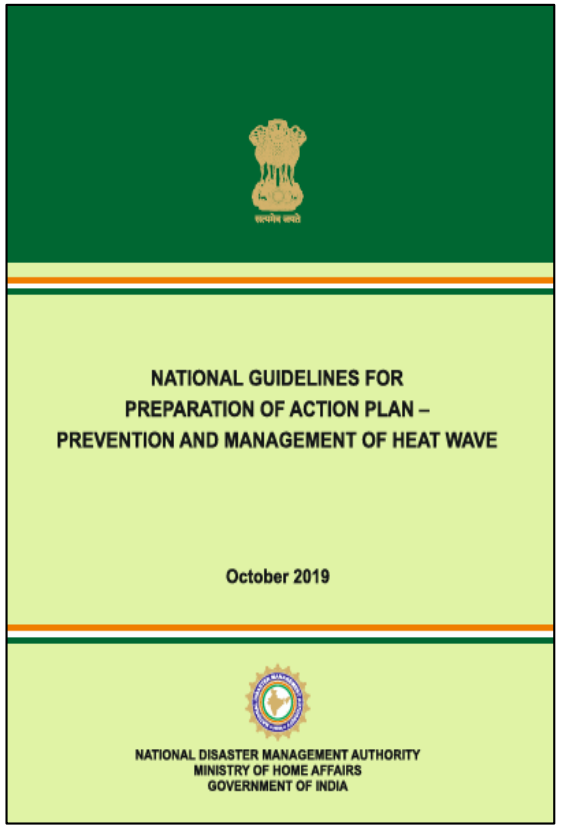

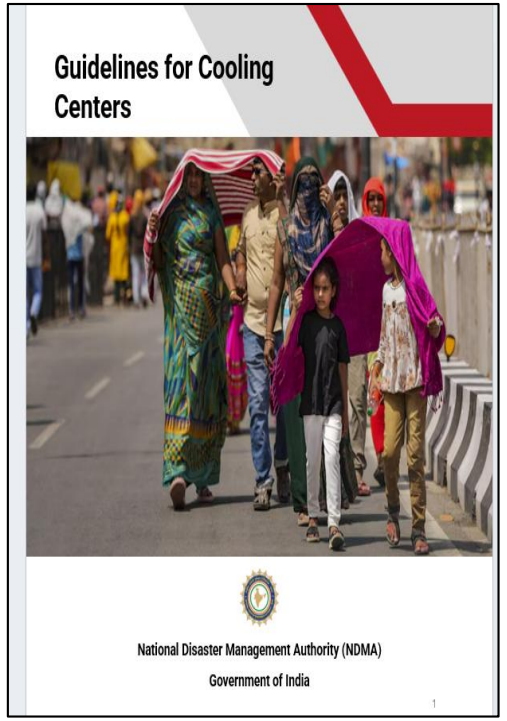

राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए तैयारी के उपाय

इस वर्ष

- 11 और 12 फरवरी को गर्मी की लहर सम्बन्धी तैयारी पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- 11 मार्च को गर्मी की लहर संबंधी राष्ट्रीय सलाह जारी की गई
- 18 मार्च को गर्मी की लहर से प्रभावित 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पूर्व-मौसम समीक्षा बैठक आयोजित की गई
- 28 अप्रैल को गर्मी की लहर संबंधी आवधिक सलाह जारी की गई
- आई एम डी, परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों और प्रमुख मंत्रालयों के साथ समन्वय
- नियंत्रण कक्ष सक्रियण प्रोटोकॉल
- राज्य/जिला नोडल अधिकारियों को सक्रिय किया गया
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं प्रसारित की गईं
- अस्पताल और स्कूल सुरक्षा के लिए सलाह

हीट एक्शन प्लान (एचएपी): राष्ट्रीय प्रगति

भारत का बढ़ता हुआ ताप-निवारण नेटवर्क

- तीन-स्तरीय हीट एक्शन प्लान मॉडल:
- राज्य हीट एक्शन प्लान
- जिला हीट एक्शन प्लान
- शहर हीट एक्शन प्लान

वर्तमान स्थिति:

- 23 ताप-प्रवण राज्यों में हीट एक्शन प्लान लागू हैं
- 277 जिलों/शहरों ने हीट एक्शन प्लान तैयार कर ली हैं
- 300 हीट एक्शन प्लान पूरी हो चुकी हैं
- 103 हीट एक्शन प्लान तैयारी/संशोधन की प्रक्रिया में हैं

कई राज्य जिला-स्तरीय कवरेज और शहर-स्तरीय योजना की ओर अग्रसर हैं।

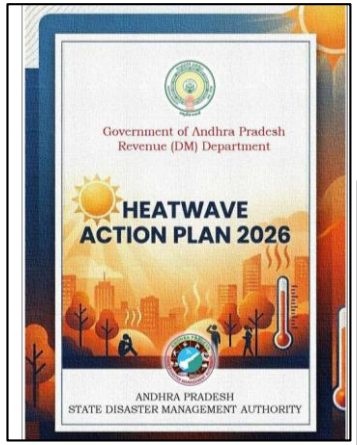

राज्य एचएपी

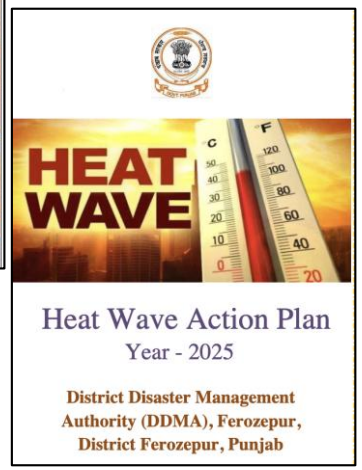

जिला एचएपी

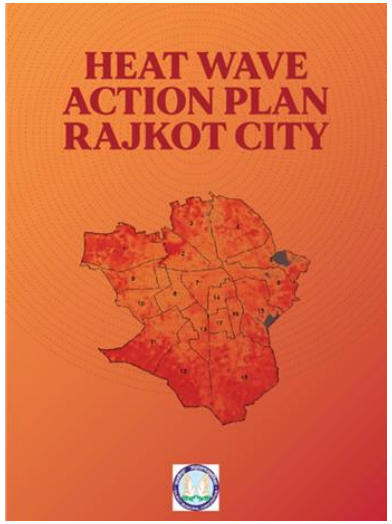

शहर एचएपी

हीट एक्शन प्लान: प्रमुख प्राथमिकताएँ

जोखिम आकलन	प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया	कमजोर समूहों का संरक्षण	प्रशमन के उपाय
• तापमान के रुझान • गर्मी के प्रमुख क्षेत्र • संवेदनशील वार्ड/ब्लॉक/गांव	• चेतावनी प्रोटोकॉल • विभाग की जिम्मेदारियां • गर्मी की घटनाओं के दौरान आपातकालीन कार्रवाई	• बाहरी कामगार • वृद्ध, महिलाएं, बच्चे • अस्थायी बस्तियाँ • एक से अधिक रोग से पीड़ित मरीज़	• ठंडी छतें • शेड प्रणाली • पानी के पॉइंट • शहरी हरियाली

प्रत्येक एच ए पी को योजना बनाने से लेकर मापने योग्य कार्यान्वयन तक आगे बढ़ना होगा

गर्मी की लहर के प्रबंधन के लिए बहुक्षेत्रीय शासन और सहयोग आवश्यक है

प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसियां:

- एनडीएमए – समन्वय, तैयारी ढांचा, निगरानी
- आईएमडी / एमओईएस – पूर्वानुमान, अलर्ट, मौसमी परिदृश्य
- एमओएचएफडब्ल्यू / एनसीडीसी – स्वास्थ्य तैयारी, निगरानी, सलाह
- राज्य / एसडीएमए – परिचालन समन्वय

राज्य और स्थानीय संस्थाएं

- जिला प्रशासन
- नगर निकाय
- पंचायती राज संस्थाएं
- स्वास्थ्य सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं

तकनीकी संस्थान

- ज्ञान भागीदार
- अनुसंधान संस्थान
- एनजीओ

गर्मी की लहर से प्रभावित एक बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करता एक स्वास्थ्यकर्मी

जन सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय संचार अभियान (1)

प्रमुख जन संदेश

- बार-बार पानी पिएं
- दोपहर के चरम समय में सीधे धूप में निकलने से बचे
- बाहरी श्रमसाध्य कार्य कम करें
- बच्चों, वृद्धों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा करें
- गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों को जल्दी पहचानें
- ओ आर एस /हाइड्रेशन सप्लीमेंट का उपयोग करें
- पानी बचाएं और बिजली का उपयोग जिम्मेदारी से करें

एनडीएमए का 'बीट द हीट' अभियान

जन सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय संचार अभियान (2)

लक्षित संचार समूह

- श्रमिक (निर्माण, वितरण, स्वच्छता, यातायात कर्मी)
- विद्यालय और अभिभावक
- किसान और ग्रामीण समुदाय
- शहरी गरीब/अनौपचारिक बस्तियाँ
- तीर्थयात्री/पर्यटक

चैनल/माध्यम

- टीवी / रेडियो / डीडी / एआईआर
- एसएमएस / मोबाइल प्रसारण
- सोशल मीडिया / व्हाट्सएप
- नगरपालिका घोषणाएँ
- पोस्टर/परिवहन केंद्र/आरडब्ल्यूए/पंचायतें

प्रस्तावित राष्ट्रीय अभियान

“गर्मी से बचें, सुरक्षित रहें” – अप्रैल से जून

एनएमडीए के गर्मी की लहर संबंधी संचार अभियानों की झलकियाँ

तैयारी और प्रशमन के उपाय

तैयारी के आवश्यक उपाय

- अधिकतम मांग के दौरान बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता
- अस्पताल की तैयारी
- हैंडपंप/जल प्रणालियों की मरम्मत
- जल संकट वाले क्षेत्रों की निगरानी

प्रशमन उपाय

- कूल रूफ
- शेड कॉरिडोर
- वृक्षारोपण और शहरी हरियाली
- वर्षाजल संचयन
- बस स्टैंड/बाजार/श्रम केंद्रों पर शीतल आश्रय स्थल

एलजी अस्पताल, अहमदाबाद में हीटस्ट्रोक प्रबंधन वार्ड

वाटर कियोस्क और ओआरएस प्वाइंट

चेन्नई में कूल रूफ का प्रदर्शन

जयपुर में नेट जीरो कूलिंग सेंटर

आपदा प्रबंधन प्रणाली में गर्मी की लहर को मान्यता

प्रमुख नीतिगत बदलाव: 16वें वित्त आयोग की मान्यता

- गर्मी की लहर को एक उभरते और बढ़ते खतरे के रूप में मान्यता दी गई
- तैयारी और प्रशमन वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया गया
- संरचित राज्य-स्तरीय योजना और निवेश का समर्थन

मौजूदा सहायक उपाय

- गर्मी की लहर को पहले ही एनडीएमएफ/एसडीएमएफ ढांचे के तहत प्रशमन सहायता के लिए पात्र बना दिया गया है
- राज्य हीट एक्शन प्लान के माध्यम से प्रस्तावों को तैयार करें

गर्मी की लहर के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता: संसाधनों का एकीकरण

- स्थानीय निकाय/यूएलबी बजट
- राज्य निधि – एसडीआरएफ/एसडीएमएफ
- राष्ट्रीय निधि – एनडीआरएफ/एनडीएमएफ
- विभागीय योजनाएँ
- सीएसआर/पीपीपी/परोपकार
- बी ओ सी डब्ल्यू डब्ल्यू बी

वित्तीय सहायता के आवश्यक तत्व

- उच्च जोखिम वाले जिलों और शहरों को प्राथमिकता
- तैयारी और प्रशमन उपायों का मिश्रण
- शहरी और ग्रामीण दोनों संवेदनशील क्षेत्रों का समर्थन
- कम लागत वाले, विस्तार योग्य समाधानों को प्रोत्साहित करना
- मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय

परोपकारी सहायता के माध्यम से एक सरकारी स्कूल में कूल रूफ का कार्यान्वयन

गर्मी की लहर से निपटने संबंधी परियोजनाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

- हीट एक्शन प्लान बनाना अनिवार्य है।
- नगर नियोजन में सभी वार्डों का समावेश सुनिश्चित होना चाहिए, जबकि जिला नियोजन में सभी ब्लॉक/तहसीलें शामिल होनी चाहिए।
- खर्च स्थानीय, संदर्भ-विशिष्ट तैयारियों और जोखिम कम करने के उपायों पर होना चाहिए।
- उपायों में व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।
- उपयोग की जाने वाली सामग्रियां किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए।

तैयारी और प्रशमन के उपाय

व्यक्तिगत स्तर पर *(अस्थायी बस्तियाँ, वंचित वर्ग के आवास, सड़क विक्रेता, अस्थायी कर्मचारी, यातायात कर्मी आदि)*	सामुदायिक स्तर पर *(बस डिपो, रेलवे स्टेशन, स्कूल, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, स्थानीय बाजार, थोक मंडियां, श्रम केंद्र आदि)*
ठंडी छत/ इन्सुलेटेड छत पैनल/ पारंपरिक समाधान (मिट्टी/ फूस की छत)	ठंडी छत/ इन्सुलेटेड छत पैनल/ पारंपरिक समाधान (मिट्टी/ फूस की छत)
बड़ी छतरी और थर्मल फ्लास्क/सुराही	पेयजल केंद्र/ प्याऊ
कूल वेस्ट	शीतलन केंद्र (महिलाओं के लिए अलग से गुलाबी केंद्र) खसखस, मिट्टी या लकड़ी से बने शीतलन केंद्रों का संचालन शुल्क आधारित मॉडल पर किया जा सकता है।
हेलमेट	रेट्रोफिटेड कूलिंग सेंटर
	कूल कॉरिडोर
	बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड जैसे क्षेत्रों में मिस्टिंग सॉल्यूशन

निरंतर निगरानी और आगे की राह

वास्तविक समय में मौसमी निगरानी

गर्मी के मौसम के दौरान

- दैनिक आईएमडी पूर्वानुमान समीक्षा
- राज्यवार तापमान हॉटस्पॉट
- गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य निगरानी
- जल संकट निगरानी
- बिजली की मांग और कटौती ट्रैकिंग
- आग की घटनाएं और आपातकालीन प्रतिक्रिया की स्थिति

कार्यान्वयन और निगरानी

- एचएपी में सुधार
- एनडीएमए की आवधिक समीक्षा बैठकें
- गर्मी की लहर की बदलती स्थितियों के आधार पर सलाहों का अद्यतन

Impact of Heat Wave on Animals and Livestock

- **Heat stress & dehydration** leading to fatigue and reduced productivity
- **Decline in milk yield, weight gain, and reproductive efficiency**
- **Increased mortality**, especially among young, old, and high-yielding animals
- **Reduced feed intake and altered grazing behavior**
- **Higher vulnerability to diseases** due to weakened immunity
- **Thermal discomfort** causing restlessness, breathlessness and distress
- **Water scarcity stress** aggravating physiological strain

Guidelines on Animal Inclusive DRR & Suggested Measures

- Considering these challenges, NDMA has come out with National Guidelines on **'Animal Inclusive DRR'** which has been **launched today by the Hon'ble Home Minister**
- These Guidelines provide following solutions to heatwave challenges to animal snad livestock -
  - Ensure continuous access to **clean and cool drinking water**
  - Provide adequate **shade, shelters, and proper ventilation**
  - **Avoid grazing/transport during peak heat hours** (12–4 PM)
  - Adopt **cooling practices** (sprinkling water, fans, misting systems)
  - **Modify feeding schedule** to early morning / late evening
  - Provide **electrolyte supplements and balanced nutrition**
  - Regular **health monitoring** and timely **veterinary care**
  - Reduce overcrowding in sheds and improve housing conditions
  - Special care for vulnerable groups (calves, pregnant animals, high-yielding cattle)

धन्यवाद